

बी.एड. एवं डी.एल.एड. के ऑन-लाईन काउन्सलिंग प्रक्रिया व महत्वपूर्ण निर्देश :-

प्रथम चरण

A - ऑन-लाईन काउन्सलिंग प्रक्रिया डी.एल.एड. हेतु

क्र.	प्रक्रिया का नाम	वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो	दिनांक	महत्वपूर्ण जानकारी
1.	ऑन-लाईन काउन्सलिंग रजिस्ट्रेशन व केन्द्र विकल्प चयन /Online Registration Cum Choice Filling for Centre	<p>1. अभ्यर्थी जो की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तथा जिनके अनुक्रमांक वि.वि. द्वारा जारी मेरिट सूची में अंकित है। उनमें से वे अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के इच्छुक है वे रजिस्ट्रेशन फार्म माँगी गयी सूचना के साथ प्रविष्टी भरें</p> <p>2. प्रवेश केवल मेरिट क्रम से ही सीट रिक्त रहते तक दिया जावेगा।</p>	<p>18 जुलाई से 28 जुलाई 2019</p>	<p>1. रजिस्ट्रेशन शुल्क रु.550/-</p> <p>2. रजिस्ट्रेशन शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।</p> <p>3. अभ्यर्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावें।</p>
2.	अध्ययन केन्द्र / सीट आबंटन	<p>1. वि.वि. द्वारा जारी मेरिट क्रम एवं आरक्षण नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को ही सीट आबंटन किया जायेगा</p>	<p>13 अगस्त 2019</p>	<p>1. मेरिट सूची के अनुसार सीट का आबंटन।</p> <p>2. आबंटित अध्ययन केन्द्र की जानकारी अभ्यर्थी को मोबाइल में SMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी साथ ही संयुक्त सूची वि.वि. के वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। कई बार SMS समय पर नहीं मिलता है अतः अभ्यर्थी वेबसाइट अनिवार्य रूप से देखें। सूचना न मिलने पर विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।</p>
3.	प्रमाण-पत्र सत्यापन/ Document Verification पाठ्यक्रम शुल्क जमाकर प्रथम वर्ष में प्रवेश की रसीद प्राप्त करना	<p>1. ऐसे अभ्यर्थी जो कि ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन की प्रिंटेड पावती प्राप्त किये हैं।</p> <p>2. अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।</p> <p>3. वि.वि. के SMS प्राप्त /वेबसाइट से जानकारी प्राप्त अभ्यर्थी</p>	<p>14 अगस्त से 23 अगस्त 2019 (रविवार, बैंक एवं अन्य अवकाश दिवस छोड़कर)</p>	<p>1. ऐसे अभ्यर्थी जिनका वि.वि.द्वारा जारी चयन सूची में नाम जारी हुआ है। उन्हें अपने समस्त दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के साथ उनके लिए आबंटित अध्ययन केन्द्रों में ही उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा सत्यापन को ऑनलाईन अपडेट भी केन्द्र में कराना होगा। सत्यापन को अपडेट नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं माना जाएगा।</p> <p>2. प्रमाण पत्र सत्यापन अपडेट के पश्चात् शुल्क वि.वि. के चालान फॉर्म के द्वारा बैंक में जमा करें तथा जमा किये गये चालान की एक प्रति (छात्र प्रति की एक फोटो कापी) अध्ययन केन्द्र (जो आबंटित हुआ है) में जमाकर चालान ऑनलाईन अपडेट करावें। तभी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी</p> <p>4. ध्यान रहे कि शुल्क जमा कराने के बाद अभ्यर्थी अगर चालान ऑनलाईन अपडेट नहीं कराते हैं तो उनका प्रवेश नहीं माना जायेगा तथा उनकी सीट अगले चरण के लिये रिक्त मानी जायेगी</p>

द्वितीय चरण

1.	स्थान रिक्त होने की स्थिति में द्वितीय चरण की काउंसिलिंग सूचना जारी होने की तिथि	प्रथम सूची में चयनित छात्र जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, वे द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिये पात्र नहीं होंगे।	27 अगस्त 2019 (नई सूची)	वि.वि. की वेबसाइट में रिक्त स्थान की सूची अपलोड की जायेगी एवं आगे का कार्यक्रम घोषित किया जायेगा।
2.	प्रमाण पत्र सत्यापन तथा पाठ्यक्रम शुल्क जमाकर प्रथम वर्ष में प्रवेश की रसीद प्राप्त करना	वि.वि. के SMS प्राप्त /वेबसाइट से जानकारी प्राप्त अभ्यर्थी	28 अगस्त 2019 से 04 सितम्बर (रविवार, बैंक एवं अन्य अवकाश दिवस छोड़कर)	<p>1. द्वितीय सूची में आवंटित सीट के अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र सत्यापन अंबटित केन्द्रों पर कराये फिर अपडेट कराये</p> <p>2. शुल्क वि.वि. के चालान फॉर्म के द्वारा बैंक में जमा करें तथा जमा किये गये चालान की एक प्रति (छात्र प्रति की एक फोटो कापी) अध्ययन केन्द्र (जो आवंटित हुआ है) में जमाकर <u>चालान ऑनलाइन अपडेट</u> कराये</p> <p>3. ध्यान रहे कि शुल्क जमा कराने के बाद अभ्यर्थी अगर <u>चालान ऑनलाइन अपडेट</u> नहीं कराते हैं तो उनका प्रवेश नहीं माना जायेगा तथा उनकी सीट अगले चरण के लिये रिक्त मानी जायेगी</p>
3.	स्थान पुनः रिक्त होने की स्थिति में तृतीय चरण की फेस-टू-फेस काउंसिलिंग सूचना जारी होने की तिथि	वि.वि. वेबसाइट से अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त करे	07 सितम्बर 2019	सिट के रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय चयन सूची वि.वि. वेबसाइट में जारी की जायेगी।

प्रथम चरण

B - ऑन-लाईन काउन्सलिंग प्रक्रिया बी.एड. हेतु

क्र.	प्रक्रिया का नाम	वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो	दिनांक	महत्वपूर्ण जानकारी
1.	ऑन-लाईन काउन्सलिंग रजिस्ट्रेशन व केन्द्र विकल्प चयन /Online Registration Cum Choice Filling for Centre	<p>1. अभ्यर्थी जो की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तथा जिनके अनुक्रमांक वि.वि. द्वारा जारी मेरिट सूची में अंकित है। उनमें से वे अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के इच्छुक है वे रजिस्ट्रेशन फार्म के साथ अपना सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज स्व प्रमाणित कर अपलोड करे</p> <p>2. प्रवेश केवल मेरिट क्रम से ही सीट रिक्त रहते तक दिया जावेगा।</p>	18 जुलाई से 28 जुलाई 2019	<p>1. रजिस्ट्रेशन शुल्क रु.550/-</p> <p>2. रजिस्ट्रेशन शुल्क किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा।</p> <p>3. अभ्यर्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करावें।</p>
2.	अध्ययन केन्द्र / सीट आबंटन	1. वि.वि. द्वारा जारी मेरिट क्रम एवं आरक्षण नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को ही सीट आबंटन किया जायेगा	05 अगस्त 2019	<p>1.मेरिट सूची के अनुसार सीट का आबंटन।</p> <p>2.आबंटित अध्ययन केन्द्र की जानकारी अभ्यर्थी को मोबाइल में SMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी साथ ही संयुक्त सूची वि.वि. के वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। कई बार SMS समय पर नहीं मिलता है अतः अभ्यर्थी वेबसाइट अनिवार्य रूप से देखें। सूचना न मिलने पर विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।</p>
3.	प्रमाण-पत्र सत्यापन/ Document Verification पाठ्यक्रम शुल्क जमाकर प्रथम वर्ष में प्रवेश की रसीद प्राप्त करना	<p>1. ऐसे अभ्यर्थी जो कि ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन की प्रिंटेड पावती प्राप्त किये हैं।</p> <p>2. अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।</p> <p>3. वि.वि. के SMS प्राप्त /वेबसाइट से जानकारी प्राप्त अभ्यर्थी</p>	06 से 17 अगस्त 2019 (रविवार, बैंक एवं अन्य अवकाश दिवस छोड़कर)	<p>1. ऐसे अभ्यर्थी जिनका वि.वि.द्वारा जारी चयन सूची में नाम जारी हुआ है। उन्हें अपने समस्त दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के साथ उनके लिए आबंटित अध्ययन केन्द्रों में ही उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा सत्यापन को ऑनलाइन अपडेट भी केन्द्र में कराना होगा। सत्यापन को अपडेट नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं माना जाएगा।</p> <p>2. प्रमाण पत्र सत्यापन अपडेट के पश्चात् शुल्क वि. वि. के चालान फॉर्म के द्वारा बैंक में जमा करें तथा जमा किये गये चालान की एक प्रति (छात्र प्रति की एक फोटो कापी) अध्ययन केन्द्र (जो आबंटित हुआ है) में जमाकर चालान ऑनलाइन अपडेट करावें। तभी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी</p> <p>4. ध्यान रहे कि शुल्क जमा कराने के बाद अभ्यर्थी अगर चालान ऑनलाइन अपडेट नहीं कराते हैं तो उनका प्रवेश नहीं माना जायेगा तथा उनकी सीट अगले चरण के लिये रिक्त मानी जायेगी</p>

द्वितीय चरण

1.	स्थान रिक्त होने की स्थिति में द्वितीय चरण की काउंसिलिंग सूचना जारी होने की तिथि	प्रथम सूची में चयनित छात्र जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, वे द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिये पात्र नहीं होंगे।	22 अगस्त 2019 (नई सूची)	वि.वि. की वेबसाइट में रिक्त स्थान की सूची अपलोड की जायेगी एवं आगे का कार्यक्रम घोषित किया जायेगा।
2.	प्रमाण पत्र सत्यापन तथा पाठ्यक्रम शुल्क जमाकर प्रथम वर्ष में प्रवेश की रसीद प्राप्त करना	वि.वि. के SMS प्राप्त /वेबसाइट से जानकारी प्राप्त अभ्यर्थी	23 अगस्त 2019 से 31 अगस्त (रविवार, बैंक एवं अन्य अवकाश दिवस छोड़कर)	<p>1. द्वितीय सूची में आवंटित सीट के अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र सत्यापन अंबटित केन्द्रों पर करायें फिर अपडेट करायें</p> <p>2. शुल्क वि.वि. के चालान फॉर्म के द्वारा बैंक में जमा करें तथा जमा किये गये चालान की एक प्रति (छात्र प्रति की एक फोटो कापी) अध्ययन केन्द्र (जो आवंटित हुआ है) में जमाकर <u>चालान ऑनलाइन अपडेट</u> करायें</p> <p>3. ध्यान रहे कि शुल्क जमा कराने के बाद अभ्यर्थी अगर <u>चालान ऑनलाइन अपडेट</u> नहीं कराते हैं तो उनका प्रवेश नहीं माना जायेगा तथा उनकी सीट अगले चरण के लिये रिक्त मानी जायेगी</p>
3.	स्थान पुनः रिक्त होने की स्थिति में तृतीय चरण की सूचना जारी होने की तिथि	वि.वि. वेबसाइट से अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त करे	05 सितम्बर 2019	सिट के रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय चरण सूची वि.वि. वेबसाइट में जारी की जायेगी।

C 1. बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के उन अध्ययन केन्द्रों की सूची जिसका अभ्यर्थी द्वारा चयन किया जाना है।

बी.एड. अध्ययन केन्द्र

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम
1.	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यू.टी.डी.), विश्वविद्यालय मुख्यालय, पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर
2.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर
3.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, नैला-जॉजगीर
4.	आदर्श शिक्षा महाविद्यालय, दतरंगा रायपुर
5.	शा.शिक्षा महाविद्यालय रायपुर
6.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई
7.	रॉयल शिक्षा महाविद्यालय, राजनांदगांव
8.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर
9.	श्री वेदमाता शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर

डी.एल.एड. अध्ययन केन्द्र

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम
1.	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यू.टी.डी.), विश्वविद्यालय मुख्यालय, पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर
2.	शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर
3.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर
4.	पं. मदनमोहन मालवीय शिक्षा महाविद्यालय, दर्रीघाट
5.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा
7.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जॉजगीर
8.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, नैला-जॉजगीर
9.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर
10.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कवर्धा
11.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
12.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
13.	कालिन्दी शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
14.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई
15.	शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई
16.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी
17.	रॉयल शिक्षा महाविद्यालय, राजनांदगांव
18.	शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव
19.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़
20.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर
21.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर
22.	जानकी शिक्षा महाविद्यालय रायगढ़
23.	होलीकास बी. टी. आई. पत्थलगांव
24.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैकुण्ठपुर
25.	श्री वेदमाता शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर
26.	समाधान शिक्षा महाविद्यालय बेमेतरा

C 2 . बी.एड. व डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के उन सत्यापन केन्द्रों के नाम सत्यापन अपडेट होगा तथा सीट मिलने पर चालान अपडेट होकर प्रवेश की पावती मिलेगी।

क्र.	अध्ययन केन्द्र का नाम	पाठ्यक्रम
1.	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (यू.टी.डी.)(महामाया परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन कक्ष क्र. 07 एवं 08) विश्वविद्यालय मुख्यालय, पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर	बी.एड. व डी.एल.एड.
2.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, सरखों रोड, जांजगीर	बी.एड. व डी.एल.एड.
3.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पेण्ड्रा	डी.एल.एड.
4.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कवर्धा	डी.एल.एड.
5.	आदर्श महाविद्यालय, रायपुर हास्पीटल कचहरी चौक रायपुर (कांउसिलिंग स्थल)	बी.एड.
6.	कालिन्दी शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	बी.एड. व डी.एल.एड.
7.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	डी.एल.एड.
9.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई	बी.एड. व डी.एल.एड.
10.	शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई	बी.एड. व डी.एल.एड.
11.	जानकी शिक्षा महाविद्यालय रायगढ़	डी.एल.एड.
12.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगरी	डी.एल.एड.
13.	शा. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव	डी.एल.एड.
14.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खैरागढ़	डी.एल.एड.
15.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अम्बिकापुर	डी.एल.एड.
16.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, सुभाषनगर, अम्बिकापुर	बी.एड. व डी.एल.एड.
17.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अम्बिकापुर	डी.एल.एड.
18.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बैकुण्ठपुर	डी.एल.एड.
19.	होलीक्रास बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान, पत्थलगांव	डी.एल.एड.
20.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, कांगोली, जगदलपुर	बी.एड. व डी.एल.एड.
21.	समाधान कालेज, बेमेतरा	डी.एल.एड.

महत्वपूर्ण सूचना -

- उपरोक्त उल्लेखित केन्द्रों में से ही केन्द्र में अभ्यर्थी के सत्यापित प्रमाण-पत्र का अपडेट एवं चालान अपडेट की सुविधा उपलब्ध है।

D - अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

1. स्थान रिक्त रहने तक ही मैरिट क्रम से अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
2. प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात कार्यक्रम शुल्क चालान के माध्यम से जमा कर अपडेट कराने पर ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी।
3. निर्धारित दिनांक व समय पर पाठ्यक्रम शुल्क जमा नही कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन एवं अध्ययन केन्द्र/ सीट आबंटन स्वमेव समाप्त हो जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, तत्पश्चात् नीचे के क्रम के (मैरिट क्रम से) अभ्यर्थियों द्वारा सीट भर ली जावेगी। एक बार जिनको सीट आबंटित हो चुकी एवं उनके द्वारा प्रवेश नही लिया गया तो ऐसे छात्र काउंसिलिंग की आगामी किसी भी चरण की प्रक्रिया में (फेस-टू-फेस में भी) शामिल नही हो सकेंगे।
3. बी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग "छत्तीसगढ़ शासन" के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 500 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
डी.एल.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग "छत्तीसगढ़ शासन" के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 2400 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
4. आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता परीक्षा (स्नातक/12Th) की अंक में आरक्षित वर्ग के तहत छूट प्राप्त की है। उन्हें सिर्फ उनके आरक्षित वर्ग की श्रेणी में प्रवेश प्राप्त करने की पात्रता उनके मैरिट क्रम अनुसार होगी।
5. (क) अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम. आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर. शीट में अपने वर्ग अथवा संवर्ग का उल्लेख नही किया है तो उसे अनारक्षित ही माना जायेगा।
(ख) किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित सीट अथवा आरक्षित सीट में से कोई एक सीट ही मिलेगी। अभ्यर्थी के वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नही किया जायेगा। अगर ओ.एम. आर. शीट में किये गये उल्लेख व प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में किये गये उल्लेख में अंतर पाया गया तो उस स्थिति में वि.वि. प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
(ग) सभी वर्ग में महिला संवर्ग के तहत चयनित महिला अभ्यर्थी का चयन मैरिट क्रम में न होकर महिला संवर्ग के तहत हुआ हो और उस वर्ग में महिला संवर्ग की सीट पूर्ण हो गई हो तो महिला के स्थान पर अधिक प्राप्तांक वाले पुरुषों का चयन मैरिट क्रम से किया जावेगा।
(घ) अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. वर्ग (Category) से तात्पर्य है - अनारक्षित (Un-reserved or UR), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes or ST), अनुसूचित जाति (Scheduled Caste or SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes or OBC)।

7. संवर्ग (Class) से तात्पर्य है – महिला (Female or F), विकलांग (Physically Handicapped or HC/PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Frighdom Fighter or FF), भूतपूर्व सैनिक (Ex Sainik or S) ।
8. ऐसे अभ्यर्थी जो संवर्ग के तहत प्रवेश पाने की पत्रता रखते हो महिला संवर्ग को छोड़कर उन्हे अपने संवर्ग संबंधी प्रमाण पत्र जारीकर्ता सक्षम अधिसकारी द्वारा जारी कराकर प्रस्तुत करना होगा तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थीयो को सक्षम जारीकर्ता अधिकारी द्वारा जारी वैध तिथि के साथ जमा करना होगा वैध तिथि नही होने या तिथि के समाप्ति वाले प्रमाण पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे और ऐसे अभ्यर्थी द्विव्यांग संवर्ग की श्रेणी मे प्रवेश की पत्रता नही रख पायेगे ।
9. चांस/प्रतिक्षा से तात्पर्य है – उन अभ्यर्थियों से है जो कि जब मैरिट में चयनित छात्र किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाते है या उनका प्रवेश नही हो पाता है तब उनके रिक्त स्थान पर मैरिट में चयनित अभ्यर्थियों के क्रम से नीचे के क्रम अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यदि स्थान रिक्त नही हो तो चांस हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों का चयन (प्रवेश) नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने तक ही चांस हेतु अभ्यर्थियों का चयन मैरिट क्रम से होगा।
10. जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आब्रजन शुल्क (Immigration Fees) एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु.1100/- (ग्यारह सौ रुपये) का जमा करना होगा। (ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश वि.वि. द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों प्रवेश के एक माह के अंदर वि.वि. से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लेवें)
11. अध्ययन केन्द्र चयन करने हेतु एक से लेकर अंतिम तक का इच्छित क्रम अनिवार्यतः डालें। काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को मैरिट कम तथा अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी को एक महाविद्यालय में मात्र एक सीट चयन करने का अधिकार होगा। एक बार काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन फार्म में सीट चयन कर लेने के बाद अभ्यर्थी को अपना चयन बदलने की अनुमति नही होगा।
12. प्रमाण-पत्र सत्यापन/Document Verification हेतु आगामी पृष्ठों में दी गई सूची के अनुसार प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा एक सत्यापित छाया प्रतियों को साथ लेकर वि. वि. द्वारा निर्धारित सत्यापन हेतु सत्यापन केन्द्र स्थलो में से किसी भी अपने निकटतम सत्यापन केन्द्र मे जाकर सत्यापन कराये। सत्यापन केन्द्रो की सूची पृष्ठ क्र. – 06 मे दी गई है। केवल प्रमाण-पत्र सत्यापन कराने से आपके सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण नही मानी जाएगी सत्यापन को ऑनलाइन अपडेट कराना भी अनिवार्य है। Document Verification की प्रिटेड पावती अवश्य प्राप्त करें। जिसे अभ्यर्थी को आबंटित अध्ययन केन्द्र मे जमा करना अनिवार्य है।
13. सत्यापन के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क को आगामी पृष्ठों में दिये गये चालान फॉर्म के माध्यम से बैंक में जमा करायें। साथ ही बैंक चालान की पावती आबंटित अध्ययन केन्द्र में अनिवार्यतः अपडेट करायें। ध्यान रहें कि अभ्यर्थी के द्वारा शुल्क बैंक में जमा करा दिया गया हो किंतु निर्धारित दिनांक व समय तक आबंटित अध्ययन केन्द्र में अपडेट नही कराया गया तो अभ्यर्थी को प्रवेश नही दिया जाएगा । उल्लेखनीय है कि निर्धारित दिनांक व समय पर पाठ्यक्रम शुल्क जमा नही कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन एवं अध्ययन केन्द्र / सीट आबंटन स्वमेव समाप्त हो जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी , तत्पश्चात् नीचे के क्रम के (मैरिट क्रम से) अभ्यर्थियों द्वारा सीट भर ली जावेगी।
14. प्रथम चरण की काउंसिलिंग के पश्चात स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही द्वितीय चरण की काउंसिलिंग का आयोजन किया जावेगा। द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के विषय में समस्त जानकारी वि.वि. की वेबसाइट पर दी जायेगी।

E अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अध्ययन केन्द्र आवटन के पश्चात् काउंसिलिंग के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे :-

बी.एड. हेतु -

1. अभ्यर्थी प्रवेश काउंसिलिंग के लिए अपने द्वारा पूर्व में काउंसिलिंग हेतु कराये गये ऑनलाईन काउंसिलिंग आवेदन पंजीयन की शुल्क रु 550/- की रसीद पावती लाना है।
2. वि.वि. द्वारा जारी स्वयं के बी.एड. प्रवेश हेतु आवटित अध्ययन केन्द्र की डाउनलोड की हुई सूची।
3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्री बी.एड. प्रवेश परीक्षा की अंकसूची। (वि.वि. द्वारा जारी प्रवेश परीक्षा परिणाम की उस पृष्ठ की डाउनलोड की हुई कॉपी जिसमें संबंधित छात्र के अंक का विवरण हो)
4. माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची।
5. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची।
6. स्नातक की अंकसूची - तीनों वर्ष की (बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक सामान्य वर्ग के लिए तथा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पी.डब्ल्यू.डी. वर्ग के लिए मान्य)
7. सेवारत अध्यापक होने की स्थिति में डी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.सी./डी.पी.ई अथवा अध्यापक शिक्षा का एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
- 7.1 यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
8. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन) मूल प्रति में प्रवेश सुनिश्चित होने के बाद जमा कराना होगा।
9. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
10. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी/संस्था द्वारा जारी विकलांगता/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र।
11. विवाह के पश्चात नाम परिवर्तन हुआ है तो उसका शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।
12. अध्यापन अनुभव प्रमाण-पत्र - सतत अध्यापन करते रहने का अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा एवं जिला शिक्षा अधिकारी अथवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्यता प्रमाणित हो। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप आगामी पृष्ठों में दिया गया है।
13. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।
14. प्री बी.एड. परीक्षा के प्रवेश पत्र की प्रति।
15. अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र (10/- रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र दें)
16. जिन छात्रों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु. 1100/- का बैंक चालान प्रवेश के समय जमा करना होगा।

डी.एल.एड. हेतु -

1. अभ्यर्थी प्रवेश काउंसिलिंग के लिए अपने द्वारा पूर्व में काउंसिलिंग हेतु कराये गये ऑनलाईन काउंसिलिंग आवेदन पंजीयन की शुल्क रु 550/- की रसीद पावती लाना है।
 2. वि.वि. द्वारा जारी स्वयं के डी.एल.एड. प्रवेश हेतु आबटित अध्ययन केन्द्र की डाउनलोड की हुई सूची।
 3. माध्यमिक परीक्षा, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंक सूची।
 4. काउंसिलिंग हेतु ऑन-लाइन काउंसिलिंग फॉर्म भरना होगा जिसका शुल्क नेट बैंकिंग के माध्यम से समय जमा करना अनिवार्य होगा।
 5. यदि अभ्यर्थी स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूर्ण किया हो तो प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन) प्रवेश सुनिश्चित होने के बाद जमा कराना होगा।
 6. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
 7. विवाह के पश्चात नाम परिवर्तन हुआ है तो उसका शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।
 8. अनुभव प्रमाण पत्र - प्री डी.एल.एड. आवेदन, वर्ष में सतत् अध्यापन करते रहने के प्रमाण पत्र के साथ कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव हो।
 - ❖ अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र - प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अनिवार्यता प्रमाणित हो।
 - ❖ यदि वर्तमान में कार्यरत शाला एवं पुराने अनुभव हेतु पूर्व की शाला में परिवर्तन (अंतर) है तो पुराने अनुभव एवं वर्तमान अनुभव हेतु दो अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- नोट: अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश विवरणिका में दिये गये प्रारूप में ही स्वीकार किये जावेंगे।
9. अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र (10/- रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवें)
 10. दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ ।
 11. जिन छात्रों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु.1100/- का बैंक चालान प्रवेश शुल्क के साथ प्रवेश के समय जमा करना होगा।
 12. प्रवेश पत्र की छायाप्रति।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक

विद्यालय का नाम

विद्यालय का पता

विद्यालय का दूरभाष क्रं.

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक -

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.

पिता/पति इस विद्यालय में पद पर

दिनांक से निरंतर वर्तमान में कार्यरत है।

हस्ताक्षर
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक
नाम -

-

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
नाम - सील

सील -

नोट :- उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाए ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काँट-छाँट न करें।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक

विद्यालय का नाम

विद्यालय का पता

विद्यालय का दूरभाष क्रं

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक -

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.

पिता/पति इस विद्यालय मेंपद पर

दिनांक से तक कार्य किया है।

हस्ताक्षर
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक
नाम -

-

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
नाम - सील

सील -

नोट :- उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्तकिया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काँट-छाँट न करें।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक

विद्यालय का नाम

विद्यालय का पता

विद्यालय का दूरभाष क्रं

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक -

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.
पिता/पति इस विद्यालय मेंपद पर
दिनांक से तक कार्य किया है।

सील

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

नाम -

नोट :- उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्तकिया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काँट-छाँट न करें।
2. दो अलग-अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव जून 2018 तक में पूर्ण होना चाहिये।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक

विद्यालय का नाम

विद्यालय का पता

विद्यालय का दूरभाष क्रं

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक -

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु.
पिता/पति इस विद्यालय मेंपद पर
दिनांकसे निरंतर वर्तमान में कार्यरत है।

सील

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

नाम -.....

नोट :- उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्तकिया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की काँट-छाँट न करें।
2. दो अलग-अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव जून 2018 तक में पूर्ण होना चाहिये।

आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रावधान

1. आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के एक सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किये जायेंगे। एक सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
2. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जायेगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
3. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा। इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रारूप क्रमांक 04 आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र
का प्रारूप

आवेदक क्रमांक 1 का विवरण

नाम —

वर्तमान अध्ययन केन्द्र —

आवेदन क्रमांक —

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

वांछित अध्ययन केन्द्र —

मोबाइल नम्बर —

आवेदक क्रमांक 2 का विवरण

नाम —

वर्तमान अध्ययन केन्द्र —

आवेदन क्रमांक —

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

वांछित अध्ययन केन्द्र —

मोबाइल नम्बर —

उपरोक्त स्थानांतरण हेतु हमारी आपसी सहमति है

हस्ताक्षर
आवेदक क्रमांक 1
दिनांक

हस्ताक्षर
आवेदक क्रमांक 2
दिनांक

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदकों द्वारा मांगा गया संशोधन मान्य किया जाता है / अमान्य किया जाता है।

दिनांक:

हस्ताक्षर
विभागाध्यक्ष

बी.एड./ डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
प्रारूप क्रमांक 05 शपथ पत्र का प्रारूप

(10/— रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवें)

मैं

पिता/पति

प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी, संलग्न प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति सत्य व सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे यह स्वीकार होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे प्रवेश एवं उपरोक्त पाठ्यक्रम की उपाधि को किसी भी समय निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक —

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान —